न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश
===

प्र0 क्र0 /2017 निगरानी ----
I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3590

महेन्द्रसिंह आयु 60 साल पुत्र श्री दोलतसिंह जाति राजपूत निवासी राजेन्द्र नगर पठार मोहल्ला गंज बासोदा जिला विदिशा म0प्र0

----- रिवीजनकर्ता

बनाम

1 :- किशोरसिंह आयु 70 साल पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत वर्तमान निवास मकान नं0 एल, 78 संत आशाराम नगर लहारपुर भोपाल म0प्र0

2 :- विजयसिंह आयु 66 साल पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत (सोलंकी) निवासी 10 अनुराग नगर शालीमार टाउनशिप के पीछे इन्दोर मध्य प्रदेश

------ प्रतिरिवीजनकर्ता

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता खिलाफ आदेश दिनांक 19/9/2017 न्यायालय श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गंज बासोदा के प्रकरण क्र0 120/अपील /2016-17 वाममले किशोरसिंह बनाम महेन्द्रसिंह भूमि ग्राम पठारी बासोदा
===

श्री मान महोदय

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रिस्पाडेन्टगण ने ग्राम पठारी बासोदा की नामान्तरण पंजी क्रमांक 7 आदेश दिनांक 20/4 2010 के विरूद्ध 7 साल बाद अनुविभागीय अधिकारी महोदय गंज बासोदा के न्यायालय में अपील पेश की तामील होने के उपरांन्त रिवीजनकर्ता ने उप स्थित होकर धारा 5 अवधि विधान का जबाब पेश किया साथ ही

XXIX(a)-BR(H)-11

452

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3590

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	